न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 65/2017

मूला पुत्र अचला जाति जाट
निवासी भोजावास, तहसील चौहटन
जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. जगराम पुत्र निम्बाराम जाट
2. खुमाराम पुत्र निम्बाराम जाट
3. हिमता पुत्र पन्नाराम जाट
4. देराजराम पुत्र शेराराम जाट
5. धर्माराम पुत्र तुलसाराम जाट
6. गोविन्दा पुत्र तुलसाराम जाट
7. खेतु पत्नी तुलसाराम जाट
8. मंगलाराम पुत्र नन्दराम जाट
9. ठाकरा पुत्र पूनमा जाट
10. गोम्मदा पुत्र पूनमा जाट
11. सिद्धा पुत्र पूनमा जाट
12. मगा पुत्र पूनमा जाट
13. भारू पुत्र पूनमा जाट
14. खेता पुत्र निम्बा जाट
15. उदा पुत्र रूपा जाट
16. जगु पुत्र सरदारा जाट
17. हेमा पुत्र सरदारा जाट
18. लुम्बा पुत्र अन्ना जाट
19. अणदा पुत्र अन्ना जाट

सभी निवासीगण गोरों का तला, धनाउ
तहसील चौहटन, जिला बाडमेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन दिनांक 25 मई 2015 प्रकरण संख्या 378/2014 जगराम व अन्य बनाम मूला आदि

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित–
श्री दिवाकर शर्मा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सुगनमल परिहार–श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक :04 अक्तूबर., 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा प्रकरण संख्या 378/2014 जगराम व अन्य बनाम मूला आदि में पारित आदेश दिनांक 20 मई 2015 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. जगराम आदि की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के तहत एक प्रार्थनापत्र आराजी खसरा संख्या 366 रकबा 53 बीघा 07 बिस्वा वाके मौजा गोरों का तला बाबत नेखमबन्दी हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 मई 2015 को स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 की परिधि में नहीं आता है। मौके पर किसी भी खातेदारी के खेत की सीमा की कोई जानकारी नहीं होने की स्थिति में ही धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पत्थरगढी किये जाने के प्रावधान है। उक्त धाराओं में भी सीमाज्ञान के आदेश केवल भू–माप के नक्शें के अनुसार दिये जा सकते है। मगर आलौच्य प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा भू–माप के नक्शे अनुसार पैमाईश का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं ली गयी और न ही कोई मौका रिपोर्ट तलब की गयी। अपीलाधीन आदेश लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान पारित किया गया मगर लोक अदालत में प्रकरण नियत किये जाने की कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी गयी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में पारित किया गया है। अतः यह कथन सही नहीं है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत में नियत किये जाने की कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप किये जाने बाबत कमिश्नर नियुक्त कर आवश्यक निर्देश देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 14 मार्च 2015 को विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता को जबाब प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए आगामी पेशी दिनांक 26 मार्च 2015 निर्धारित की गयी। दिनांक 26 मार्च 2015 की आदेशिका अनुसार विचारण न्यायालय में पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यो में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी 30 अप्रेल 2015 मुकर्रर की गयी। मगर दिनांक 30 अप्रेल 2015 की कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी है। अपितु दिनांक 25 मई 2015 की दो आदेशिकाएं विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिनमें से एक आदेशिका रबर–स्टाम्प से अंकित है जिसमें "पत्रावली सीपीसी की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेच में स्थानान्तरित की जाती है, पत्रावली दिनांक 30.4.15 के स्थान पर 25.5.15 लोक अदालत बैच के समक्ष पेश हो.." अंकित किया हुआ है। इसी दिनांक 25 मई 2015 की लिखी गयी दूसरी आदेशिका में पत्रावली लोक अदालत कैम्प धनाउ में पेश होना एवं अपीलाधीन आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किये जाने का अंकन किया हुआ है। जाहिर है कि प्रकरण लोक अदालत कैम्प धनाउ में नियत किये जाने बाबत अपीलाण्ट या अन्य पक्षकारान को निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप सूचित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व अप्रार्थी–अपीलाण्ट को जबाब पेश करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 मई 2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को जबाब प्रस्तुत करने का समुचित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अवसर प्रदान किया जावे और उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का मौका देते हुए नये सिरे से न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04 अक्तूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर